



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc2.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ.सी. 1699

दिनांक: 24.11.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/Approach/44699/2020**

**विषय:** जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० ०३ चैनेज २.२४३ की बांयी पटरी पर खसरा सं०-१० में मै०इण्डियन ऑयल कॉर्पो०लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

**सन्दर्भ:** सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-२७७९/८१-२-२०२२-८००(६९)/२०२२, लखनऊ, दिनांक-१८.०९.२०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी-४४/८१-२-२०२२-८००(६९)/२०२२, लखनऊ, दिनांक-२५.०५.२०२२ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक २१.०६.२०२२ द्वारा राज्य शासन से कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना मांगी गई थी। प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित अनुपालना में निम्न सूचना का समावेश नहीं है। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

- 1- If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) आई०ओ०सी०एल० संजय प्लेस, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}